संख्या–512/26–ब0प्र0–2010–30(बजट)/07

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उ0प्र0 कानपुर।

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ — लखनऊ::दिनांक 15 जून, 2010

विषयः–गढमुक्तेश्वर, जनपद–गाजियाबाद के मूढ़ा हस्त शिल्प का तकनीकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 33.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–71/13–हस्त शिल्प/बजट/2010–11 दिनांक 16.4.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गढ़मुक्तेश्वर, जनपद–गाजियाबाद के मूढ़ा हस्त शिल्प का तकनीकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 में व्यवस्थित धनराशि रू0 33,00,000.00 (रूपये तैंतीस लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 16,50,000.00 (रूपये सोलह लाख पचास हजार मात्र) का व्यय करने की निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी द्वारा सुनियोजित कार्य में व्यय के लिए वास्तविक मॉग पर यथा आवश्यकता उपलब्ध कराई जायेगी।

2. स्वीकृत धनराशि केवल स्वीकृत योजना में योजना के उपखण्डो में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में इसका उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के कियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

3. योजना का कार्यान्वयन एवं इस सम्बन्ध में व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित करने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 एवं शासन को प्रपत्र–बी–एम–13 में पूर्णता भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

5. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के 01 माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप योजनाओं पर व्यय किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद के मूढ़ा हस्तशिल्प का तकनीकी उन्नयन–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26.3.2010 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव

संख्या– 512 (1)/26–ब0प्र0–2010–30(बजट)/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा–1) सी0ए0एस0एस0–3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा/हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर
6. निदेशक, वित्तीय एवं सॉख्यिकीय निदेशालय, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. लघु उद्योग अनुभाग–3/वित्त (ई)–6/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग–4
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव